

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)
कार्यालय अधिष्ठाता अध्ययन
शिमला-5

1-58/2017-हि.प्र.वि.वि(अ.अ)

दिनांक 06 मई 2017

माननीय कुलपति महोदय के संज्ञान में लाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विद्यावाचस्पति के प्रवेश में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता रहा है परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 05 मई 2016 को जारी नोटिफिकेशन के पैरा 5.3 के अनुसार विद्यावाचस्पति के प्रवेश में राज्य / केन्द्र की आरक्षण नीति को लागू किया जाना चाहिए। अतः माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि विद्यावाचस्पति में राज्य की आरक्षण नीति को लागू कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

Girja Sharma
(आचार्य गिरिजा शर्मा)
अधिष्ठाता अध्ययन

माननीय कुलपति महोदय

के आचार्य गिरिजा शर्मा
15/5